न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमंद

(पिठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 03 / 2019 अपील

दायर दिनांकः– 15 / 03 / 2019

निणर्य दिनांकः– 26 / 03 / 2020

अनवान

1 शिवलाल पिता भूरा माली जाति माली नि. गणेशपुरा (जुणदा) तहसील रेलमगरा

अपीलांट

बनाम

1. भोलीराम पिता वरदा जाति माली निवासी– गणेशपुरा (जुणदा) तहसील – रेलमगरा
2. हगामी विधवा वरदा जाति माली निवासी– गणेशपुरा (जुणदा) तहसील – रेलमगरा
3. चान्दमल पिता हिरा जाति माली निवासी– गणेशपुरा (जुणदा) तहसील – रेलमगरा
4. रूपी विधवा हीरा जाति माली निवासी– गणेशपुरा (जुणदा) तहसील – रेलमगरा
5. जसु पिता खेमा जाति माली निवासी– गणेशपुरा (जुणदा) तहसील – रेलमगरा
6. पुष्पा पिता हजारी जाति माली निवासी– गणेशपुरा (जुणदा) तहसील – रेलमगरा
7. ग्राम पंचायत जुणदा जरिये संरपच ग्राम पंचायत जुणदा तहसील रेलमगरा

रेस्पोडेण्टगण

अपील विरूद्व ना0सं0 335 निर्णय दिनांक 15 / 12 / 1978 ग्राम पंचायत जुणदा

: : निर्णय : :

अपीलांट की और से जरिये अधिवक्ता अपील अपीलांट विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1188 दिनांक 20.12.2016 के प्रस्तुत की गई कियह कि ग्राम जुणदा पटवार हल्का जुणदा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद में अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट सं. 1 से 6 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। जिसके वर्तमान् खाता सं. 762 एवं पुराना 719 है जिसमें निम्न भूमियां अंकित है– 2918, 2919, 2923, 2926, 3038, 3044, 3045, 3046, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3074, 3075, 3076 कुल किता 16 कुल रकबा 36 बिघा 10 बिस्वा। अपील की कलम सं. 01 में वर्णित भूमियाँ अपीलाण्ट को विरासत से प्राप्त हुई। अपीलाण्ट को उक्त भुमियाँ अपने दादा खेमा से प्राप्त हुई क्योकि अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु पुर्व में हो चुकी थी। अपीलाण्ट के नाम पर नामान्तरकरण खोलते वक्त ग्राम पंचायत ने सही नाम पता जांच किये बगैर उप नाम सुवा पिता भुरा के नाम पर नातान्तरकरण खोल दिया गया जबकि अपीलाण्ट का वास्तवीक नाम शिवलाल पिता भैरा है मौके पर अपीलाण्ट तथा रेस्पोडेण्ट अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर स्वतंत्र रूप से उपयोग उपभोग कर रहे है। तत्कालीन सरपंच द्वारा अपीलाण्ट के नाम की सही जांच किये बिना अपीलाण्ट का एंव इनके पिता का नाम गलत अकित करने में गंभीर भुल की है जिससे अपीलाण्ट अपने वैध अधिकारों से वचित हो गया है। उक्त नामान्तकरण गलत रूप से निर्णित हो जाने से अपीलाण्ट को भारी कठिनाईयों का

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

सामना करना पड रहा है क्योकि अपीलाण्ट से सारे दस्तावेजों में अपीलाण्ट का नाम शिवलाल पिता भैरा माली के नाम से है समस्त दस्तावेजों की फोटो प्रतियां अपील के साथ सलग्नं है। जिससे उक्त त्रटिपुर्ण नामान्तरकरण को निरस्त / खारिज किया जाना नितान्त आवश्यक है। अपीलाण्ट ने दिनांक 26/02/2019 को उक्त भूमियों की जमांबदी की नकल निकलवाई तब ज्ञात हुआ की अपील की कलम सं. 1 में वर्णित भूमियों मे अपीलाण्ट का नाम सुवा पिता भुरा अंकित है जबकि अपीलाण्ट का नाम शिव लाल पिता भैरा होना चाहिये था उसी दिन राजस्व रिकार्ड की नकले प्राप्त की नकल प्राप्त करते ही अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है फिर भी संभावित आपत्ति के निराकरण हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र साथ संलग्न है। उक्त त्रटिपूर्ण नामान्तरकरण सं. 335 ग्राम पंचायत जुणदा तहसील रेलमगरा द्वारा निर्णित किया गया। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत जुणदा द्वारा निर्णित नामान्तरकरण सं. 335 को निरस्त/खारिज फरमाया जाने का आदेश प्रदान करावें तथा पुनः जांच कर नामान्तरकरण खोले जाने का आदेश प्रदान कराया जावें।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई रेस्पोडेण्टगण को जरिये सुचना तलब के बावजुद सुचना के अनुपस्थित रहने से एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई दौराने बहस अधिवक्ता अपीलांट ने बताया की तत्कालीन सरपंच द्वारा अपीलाण्ट के नाम की सही जांच किये बिना अपीलाण्ट का एंव इनके पिता का नाम गलत अकित करने में गंभीर भुल की है जिससे अपीलाण्ट अपने वैध अधिकारों से वचित हो गया है । उक्त नामान्तकरण गलत रूप से निर्णित हो जाने से अपीलाण्ट को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। बिना उक्त नामान्तरण के सम्बंध में पक्षकारान को बिना सुनवाई किये ही नामान्तरण पारित किया गया है। उसे निरस्त फरमाया जाकर पक्षकारान को सुन कर नये सिरे से नामान्तरण पारित फरमाया जावें। पत्रावली एवं उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। मामलें में प्रकरण एक तरफा होकर अपीलाण्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों का किसी प्रकार से खण्डन नही किया गया है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम जूणदा के नामान्तरण संख्या 335 निर्णय दिनांक 15.12.1978 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि पक्षकारान को सुन कर एवं खेमा पिता रूपा माली के विधिक वारिसान की जांच की जाकर नये सिरे से नामान्तरण की कार्यवाही की जावे पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26/03/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा